

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 124] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 21, 2019/फाल्गुन 2, 1940 No. 124] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 21, 2019/PHALGUNA 2, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2019

सा.का.नि. 140(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण (वैज्ञानिक समूह-'क' पद), भर्ती नियम, 1984, को जहाँ तक उनका संबंध वैज्ञानिक 'बी' को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण में वैज्ञानिक 'बी' के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण, वैज्ञानिक 'बी', (समूह 'क') पद, भर्ती नियम, 2019 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अहर्ताएं, आदिः- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अहर्ताएं और उससे संबंधित अन्य बातें होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हताः- वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने, अपने पित या पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

(1)

1154 GI/2019

- परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
- 5. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का पद की संख्या नर्गीकरण सेप्ट्रिक्स में है या गैर- चयन पद सीधे भर्ती होने बाले के तिए जारित शिक्ति कथा अन्य अहताएँ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) अनुरुपक : कर्तिय सेवा, क्रिज्ञ ते प्रतिक कथा अन्य अहताएँ (क्रिज्ञ ते शिक्त कथा अन्य कर्य क्षेत्र ते क्रिज्ञ ते क्रज्ञ ते क्रिज्ञ ते क्रिज्ञ ते क्रिज्ञ ते क्रज्ञ ते क्रज्ज्ञ ते क्रज्ज्ज्ञ ते क्रज्ज्ञ ते क्रज्ज्ज्ञ ते क्रज्ज्ज्ञ ते क्रज्ज्ज्ञ ते क्रज्ज्ज्ज्ज्ञ ते क्रज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ञ ते क्रज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज	नाम पैट्रिक्स में है या गैर चयन पर लिए आयुसीमा तियुक्ति किए जाने वाले लिए अपेक्षित श्रीक्षित श्रीक त्रित्य श्रीक्षित श्रीक्षित श्रीक्षित श्रीक श्रीक त्रीत श्रीक्ष्य श्रीक त्रीत स्वाचित्र श्रीक्षित श्रीक श्रीक त्रीत स्वाचित्र श्रीक त्रीत स्वाचित्र श्रीक त्रीत स्वाचित्र श्रीक त्रीत स्वाचित्र श्रीक्षित त्रीक्षित श्रीक त्रीत स्वाचित्र श्रीक त्रीत स्वाचित्र श्रीक्षित त्रीत स्वाचित्र श्रीक त्रीत स्वाचित्र श्रीक त्रीत स्वाचित्र स्वाचि		<u> </u>	<u>γ</u>			0, 6, ,	0, 6,
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) बैज्ञानिक- 'बी' कार्यभार के अध्यश्चन सेवा, (कर्रावाप) 'कर्निय सेवा, (क्रन्त्रपावववीय) 'मह 'क', राजपत्रित, (अनन्तर्पववीय) 'मह 'क', राजपत्रित, विद्यापत्रप्वच्यालय या प्राप्तिक, प्रमुप्ति। (और तक्रमीक का तारीख, अपरत में रहने वाले अभ्याप्यों में आवेदनपत्रों को प्राप्त करने के लिए जीविया प्राप्त में प्राणिविज्ञान में अवेदनपत्रों को प्राप्त करने के लिए जीविया प्राप्त में प्राणिविज्ञान में अवेदनपत्रों को प्राप्त करने के लिए जीविया प्राप्त में प्राणिविज्ञान में अवेदनपत्रों को प्राप्त करने के लिए जीविया प्राप्त में प्राणिविज्ञान में अवेदनरेट। 'मिक्कम, जममु-कथ्मीर राज्य के लहाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल तथा चन्या-विके के पाणी उपखंड, विवेवक्रानुसार शिथिव की जा	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) वैज्ञानिक- विक्षा स्वारण केन्द्रीय सेवा, सन्दर 10 काश्रार पर सिवता के अध्यक्षीन करिया सेवा, (अनन्यचिवीय) सन्दर 10 त्राप्तिकता, (अनन्यचिवीय) सन्दर 10 त्राप्तिकता, अध्यक्षीन करिया सेवा, (अनन्यचिवीय) सन्दर 10 त्राप्तिकता, (अनन्यचिवीय) सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुमा सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। हिएपण-1:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निणांवक तारीख, भारत में रहते वाले अन्यर्थियों से आवेदनपत्रों को प्राप्त करमें रहते वाले अन्यर्थियों से आवेदनपत्रों को प्राप्त करमें के लिए अपेविज्ञान सेव्यालय मान्यताप्राप्त अन्य थि संस्थान से प्राणिविज्ञान केवित्रात्रार्थ स्वर्धात्र संस्थान से प्राणिविज्ञान केवित्र वाराख्य सारव्य पा संस्थान से प्राणिविज्ञान केवित्र वाराख्य या मान्यताप्राप्त अन्य थि संस्थान से प्राणिविज्ञान केवित्र सारकारी से आवेदनपत्रों को प्राप्त करमें के लिए अपेवित तारीख होगी। (और न किस्स, मान्यताप्त क्रिया या कानूनी संस्थान से आवेदनपत्रों को प्राप्त करमें के लिए अपेविज्ञान केवियालय या थि संस्थान से प्राणिविज्ञान होन्दरिय होगालल प्रदेश केवित्र संवर्ध संस्थान से प्राणिविज्ञान केव्यव्यालय पा संस्थान से प्राणिविज्ञान केव्यव्यालय पा संस्थान से प्राणिविज्ञान होन्दरिय स्थान से प्राणिविज्ञान केवियय होगा। (और न किसी मान्यता प्र संस्थान से प्राणिविज्ञान केवियय होग्यान प्रदेश संस्थान से प्राणिविज्ञान होन्दरिय संस्थान से प्राणिविज्ञान केवियय होगा विवेष संस्थान केवियय होगा विवेष संस्थान केवियय होगा विवेष संस्थान केवियव संस्थान से प्राणिविज्ञान होन्दरिय संस्थान से प्राणिविज्ञान केवियालय पा संस्थान से प्राणिविज्ञान केवियालय पा संस्थान से प्राणिविज्ञान होग्यो केव्यव्यालय संस्थान से प्राणिविज्ञान होगा केविय केवियालय पा संस्थान से प्राणिविज्ञान केविय विवेषालय पा संस्थान से प्राणिविज्ञान केविय विवेषालय पा संस्थान से प्राणिविज्ञान केविय विवेषालय पा संस्थान से प्राणिविज्ञ केविय संस्थान से प		पद की संख्या	वर्गीकरण			~	
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) वैज्ञानिक- 'वी' * कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अध्यक्षीन समृद्ध 'क', राजणिति, (अननुसचिवीय) समृद्ध 'क', राजणित, (अननुसचिवीय) समृद्ध पर जारी किए गण् अनुदेशों या आवश्ये के अनुसार सकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिविल की जा सकती हैं)। हिप्पण-1:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, सारत में रहने वाले अध्ययियों से आवेदनपत्रों को प्राप्त अवस्ययियों से आवेदनपत्रों को प्राप्त अवस्यान से प्राणिविज्ञान के वेद्य में शोध और तकनीक का तीन वर्ष का अभ्ययियों से आवेदनपत्रों को प्राप्त अस्ययियों से आवेदनपत्रों को प्राप्त अस्ययियों से आवेदनपत्रों को प्राप्त अस्य सिता ति किसी मान्यता प्राप्त करने के लिए अतिम तारीख होगी। (और निक्ती मान्यता प्राप्त करने के लिए अतिम तारीख होगी। (और निक्ती मान्यता प्राप्त करने के लिए अतिम तारीख होगी। (और निक्ती मान्यता प्राप्त करने के लिए अतिम तारीख होगी। (और निक्ती मान्यता प्राप्त करने के लिए अतिम तारीख, जम्म मोजन्य प्राप्त करने के लिए अतिम तारीख होगी। (और निक्ती मान्यता प्राप्त करने के लिए अतिम तारीख होगी। (और निक्ती मान्यता प्राप्त के लहाख खंड, हिमाजल प्रदेश के विवेकतानुसार शिविल की जा योग के विवेकतानुसार शिविल की जा विवेवकानुसार शिविल की जा विवेवकानुसार शिविल की जा	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) तैज्ञानिक- विते (2019) केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपवित, (अननुसचिवीय) किन्द्रीय सेवा, (अननुसचिवीय) किन्द्रीय सेवा, (अननुसचिवीय) किन्द्रीय सेवा, (अननुसचिवीय) किन्द्रीय सेवा, (अननुसचिवीय) किन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। किन्द्रीय या राज्य या पिल्लिक सेक्टर उपक्रम विश्वविद्यालय प्राणिविज्ञान में स्नातकों है)। किन्द्रीय या राज्य या पिल्लिक किन्द्रारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। किन्द्रीय या राज्य या पिल्लिक सेक्टर उपक्रम विश्वविद्यालय पाणिविज्ञान सेव में शोध और तकनीक तारीख होगी। (और न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, निकारया माम्याताऽप्राप्त अन्य संस्थान से प्राणिविज्ञान केव में शोध और तकनीक तारीख होगी। (और न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, निकारया, मिण्युर, नागालैंड, विषुप्त, तिखिक्षम, जम्मु-कश्मीर राज्य के लहाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्चा-जिले के पांगी उपखंड,	,,,,			• • •	~	1117 113 1111	
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) वैज्ञानिक- 'वी' 'कार्यभार के अध्यर्धीन 'कार्यभार के अध्यर्थीन' के असम, मेचालय, अरूणाचल प्रदेश, माणिपुर, नागालेंड, विषुपर, माणिपुर, नागालेंड, विषुपर, माणिपुर, नागालेंड, विषुपर, मिलोरम, माणिपुर, नागालेंड, विषुपर, मिलोरम, माणिपुर, नागालेंड, विषुपर, माणिपुर, नागालेंड, विषुपर, मिलोरम, माणिपुर, नागालेंड, विषुपर, मिलोरम, माणिपुर, नागालेंड, विषुपर, मिलोरम, माणिपुर, नागालेंड, विषुपर, माणिपुर, नागालेंड, विषुपर, मिलोरम, माणिपुर, नागालेंड, विषुपर, के लहाख खंड, विकेतनुमार शिक्षिल की जा मंजन के स्वेवा अध्योग के के पांगी उपखंड, विकेतनुमार शिक्षिल की जा संविकान के विवेकतनुमार शिक्षिल की जा संविकाल के पांगी उपखंड, विवेकतनुमार शिक्षिल की जा संविकाल के पांगी उपखंड, विवेकतनुमार शिक्षिल की जा संविकाल के के पांगी उपखंड, विवेकतनुमार शिक्षिल की जा संविकाल के के पांगी उपखंड, विवेकतनुमार शिक्षिल की जा संविकाल के विवेकतनुमार शिक्षिल की जा	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) वैज्ञानिक- विकर्ष (2019) * कार्यभार के केन्द्रीय सेवा, आधार पर भिन्नता के अध्यक्षीन कन्द्रीय सेवा, (अननुसचिवीय) (अननुसचिवीय) कन्द्रीय सेवा, (अननुसचिवीय) कन्द्रीय सेवा, (अननुसचिवीय) (क्र. 56100 (क्र.							
वैज्ञानिक- 'वी' * कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अध्यर्धीन कित्रीय सेवा, राजपत्रित, (अननुसचिवीय) * कार्यभार के अध्यर्धीन कित्रीय सेवा, राजपत्रित, (अननुसचिवीय) * कार्यभार के अध्यर्धीन कित्रीय सेवा, राजपत्रित, (अननुसचिवीय) * कार्यभार कर्ना कित्रा समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक िशिव की जा सकती है। * किर्मा अध्यर्भित करने के लिए निर्णायक तार्योख, भारत में रहन् वाले अभ्यर्भियों से आवेदनपत्रों को आप्ता संस्थान से प्राणिविज्ञान के अस्य भारत में रहन् वाले अभ्यर्भियों से आवेदनपत्रों को आप्ता तारीख होगी। (और न कित्रीय सारा प्रज्य या संख्या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अन्य शिक्षा संस्थान से प्राणिविज्ञान के लिए निर्णायक तारीख, भारत में रहन् वाले अभ्यर्भियों से आवेदनपत्रों को आप्ता तारीख होगी। (और न कि असम, मेशाल्य, अरूणाचल प्रदेश, सिक्षेम, जम्मु-कशीर राज्य के लहाख खंड, हिमाचल प्रदेश अन्यथा मुअहिंत अभ्यर्थियों किते तथा चम्वा-जिले के पांगी उपखंड, विवेवकानुमार शिक्षिल की जा	तैशानिक- विक्र (2019) केन्द्रीय सेवा, किन्द्रीय सेवा, किन्द्राय सेवा पर सिन्नता के अध्यक्षीत सेवा के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। सिन्नता सेवा पर सिन्नता सेवा सेवा सेवा सेवा सेवा सेवा सेवा सेव	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
'बी' * कार्यभार के अध्यथ पर भिन्नता के अध्यथीन * कार्यभार के कार्यभार कार कार्यभार क	* कार्यभार के अधार पर भिन्नता के अध्यक्षीन (अननुसचिवीय) (रू. 56100 177500/-). (अनुस्यों या आदेशों के अक्ष्मधीन (अननुसचिवीय) (अननुसचिवीय) (रू. 56100 177500/-). (अनुस्यों या आदेशों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। (अक्ष्मित करने के लिए जिलाबक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से आवेदनपत्रों को प्राप्त करने के लिए जिलाबक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से आवेदनपत्रों को प्राप्त करने के लिए अलिम तारीख होगी। (और न किस अनुभव। वांछनीय:- करने के लिए अंतिम तारीख होगी। (और न किस मान्यता प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख होगी। (और न किस मान्यता प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख होगी। (और न किस मान्यता प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख होगी। (और न किस मान्यता प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख होगी। (और न किस मान्यता प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख, भारत में प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख होगी। (और न किस मान्यता प्राप्त के लहाख खंड, हिमाचल प्रयेश के लहाख के लहा खंड, हिमाचल प्रयेश के लहा खंड, हिमाचल प्रयेश के लहा खंड, हिमाचल प्रयेश के लहा खंड, हिमाचल प्रयोश के लहा खंड लिए जे ले लहा खंड के लहा खंड लिए जे ले लहा खंड हिमाचल प्रयोश के लहा खंड लिए जे लहा हिमाचल प्रयोश के लहा खंड लिए जे लहा हिमाचल प्रयोश के लहा हिमाचल प्रयोश के लहा है के लहा हिमाचल प्रयोश के लहा हिमाचल प्रयोश के लहा है के लहा ह							` '
प्रभाव पर समूह 'क', राजपत्रित, अन्नुसचिवीय) पर भिन्नता के अध्यर्धीन पर समूह 'क', राजपत्रित, अन्नुसचिवीय) पर अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकार होरा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकार होरा से सकती के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। पर पण-1:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अन्यर्थियों से आवंदनपत्रों को प्राप्त अवश्वाच या भागिवज्ञान के अन्यर्थियों से आवंदनपत्रों को प्राप्त अवश्वविद्यालय या स्थापित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अन्यर्थियों से आवंदनपत्रों को प्राप्त अरूप श्रिम साम्यता प्राप्त किसी मान्यता मान्यता किसी मान्यता मा	समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसचिवीय) समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसचिवीय) समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसचिवीय) सम्मय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती हैं)। टिप्पण-1:- अयु-सीमा अवधारित करने के लिए मान्यताप्राप्त या कानूमी संग या पळिल सेक्टर उपक्रम विश्वविद्यालय टिप्पण-1:- अयु-सीमा अवधारित करने के लिए मान्यताप्राप्त या कानूमी संग या पळिल सेक्टर उपक्रम विश्वविद्यालय टिप्पण-1:- अयु-सीमा अवधारित करने के लिए मान्यताप्राप्त या कानूमी संग या पळिल सेक्टर उपक्रम विश्वविद्यालय टिप्पण-1:- अयु-सीमा अवधारित करने के लिए मान्यताप्राप्त अन्य शिक्ष के लिए अंतिम तारीख होगी। (और न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश संभा से आविदनमत्रों को प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख होगी। (और न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, संभा में प्राणिविज्ञान के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, विवेकानुसार शिथिल की संग सामय पर जारी किए पा विश्वविद्यालय प्राणिविज्ञान में स्नातको के छिपी पा अवधारित करने के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, विवेकानुसार शिथिल की						। 35 वष स अनाधक ।	आवश्यक :-
शिक्षत के राजपित, (अननुसिविवीय) स्वार पर (जन्ति क्षिण) अध्यथीन समय पर जारी किए पण अनुसेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिश्वल की जा सकती है। (ह) किलाए पण अनुसेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिश्वल की जा सकती है। (ह) किलाए किए भागवान या कानूनी सगठन या पिल्लक सेक्टर उपक्रमा विश्वलिद्यालय या टिप्पण-1:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यविवा से आवेदनपत्रों को प्राप्त करने के लिए जिल्ला सेक्टर उपक्रमा संस्थान से प्राणीविज्ञान के क्षेत्र में शोध और तकनीक का तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यविवा से प्राणीविज्ञान के क्षेत्र में शोध और तकनीक का तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यविवा से प्राणीविज्ञान में स्थान से प्राणीविज्ञान में स्थान से प्राणीविज्ञान में स्थान से प्राणीविज्ञान में कि डिग्री; और (हिग्री के अनुसार साक्षात्र या कानूनी सगठन या शिक्षा संस्थान से प्राणीविज्ञान में स्थान से या कानूनी सगठन या शिक्षा संस्थान से प्राणीविज्ञान में स्थान से या कानूनी सगठन या शिक्षा संस्थान से प्राणीविज्ञान में स्थान से प्राण्व के लाहो का लाहो को से सीविवा से सामय पर जारी किए ने किव्ही या राज्य या संघ त्राच्य या स्थान से सामय पर जारी के लिए जे के व्यविवालय या शिक्षा संस्थान के किला स्थान से प्राणीविज्ञान में सिव्यो स्थान से सामय पर जार से सामय पर जार से से सिव किया पर जार से से सामय पर जार से से सामय पर जार से से सिव किया पर जा	भिन्नता के अध्यधीन (अननुसचिवीय) सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती हैं) (मं) केन्द्रीय या राज्य या राज्य था राज्य केव या स्वशां के हिमा से प्राणीविज्ञान से स्वरा हैं। (मं) केन्द्रीय या राज्य या राज्य केव या स्वशां कि विधार करने के लिए निर्णायक तारीख होगी। (और न कि सम्म मे प्राणीविज्ञान के समय मे आवेदतन्पत्रों को प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख होगी। (और न कि समम मे प्राणीविज्ञान या शिक्य होगी। (और न कि समम मे प्राणीविज्ञान या शिक्य होगी। (और न कि समम मे प्राणीविज्ञान या शिक्य होगी। (और न कि समम मे प्राणीविज्ञान या शिक्य होगी। (और न कि समम मे प्राणीविज्ञान या शिक्य होगी। (और न कि समम मे प्राणीविज्ञान या शिक्य होगी। (और न कि समम मे प्राणीविज्ञान या शिक्य होगी। (और न कि समम मे प्राणीविज्ञान या शिक्य होगी। (और न कि समम मे प्राणीविज्ञान या शिक्य होगी। (और न कि समम मे प्राणीविज्ञान या शिक्य होगी। (और न कि लागोले के लाहोल और स्पीति किले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, विवेकानुसार शिथिल की	'बा'	* कार्यभार के	· ·	I -			
समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती हैं)। टिप्पण-1:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से आवेदनपत्रों को प्राप्त करने के लिए जीतम तारीख होगी। (और तकनीक का तीन वर्ष का अनुभव। वंद्धनीय:- करने के लिए अंतिम तारीख होगी। (और तकनीक का तीन वर्ष का अनुभव। वंद्धनीय:- करमे के लिए अंतिम तारीख होगी। (और तकनीक का तीन वर्ष का अनुभव। वंद्धनीय:- करमे के लिए अंतिम तारीख होगी। (और तकनीक का तीन वर्ष का अनुभव। वंद्धनीय:- करमे के लिए अंतिम तारीख होगी। (और तकनीक का तीन वर्ष का अनुभव। वंद्धनीय:- करमा के असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणपुर, नागालँड, विपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लहाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड,	समय पर जारी किए गण अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण-1:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से आवेदनपत्रों को प्राप्त किया या जानूनी संग् आवेदनपत्रों को प्राप्त के अनुभवा वांछनीय:- करने के लिए अंतिम तारीख होगी। अवधारित तर कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुर, नागालैंड, त्रिपुर, सिक्किम, अम्मूनकश्मीर राज्य के लहाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लहाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लहाख क्यें के लाहोल और स्पीति लिए जो लेखबद्ध किए जे लेख तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, विवेकानुसार शिथिल की		आधार पर		1773007-).		टिप्पण-1:- (केन्द्रीय	
गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती हैं)। टिप्पण-1:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से आवेदनपत्रों को प्रप्त करने के लिए जीतम तारीख होगी। (और नक्तिक का तारीख समरत में रहने वाले अभ्यर्थियों से आवेदनपत्रों को प्रप्त करने के लिए अतिम तारीख होगी। (और नक्तिक का तिम वर्ष का अनुभव। वाखनीय:- करने के लिए अतिम तारीख होगी। (और नक्तिक का तिम वर्ष का अनुभव। वाखनीय:- कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणेपुर, नागालेंड, विपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर टिप्पण -1:- अर्हताएं, राज्य के लहाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, विवेकानुसार शिथिल की जा विवेकानुसार शिथिल की जा	भए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। हिंपण-1:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों, और तकनीक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों, और तकनीक तारीख होगी। (और निक्रिय या शिक्रिम, मिणोरफ, निर्णायक तारीख होगी। (और निक्रिम मान्यता प्रक्रिम से आवेदनपत्रों को प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख होगी। (और निक्रिम मान्यता प्रक्रिम मान्यता प्रक्रिम से आवेदन हिम्म से आवेदन हिम्म से प्राणिविज्ञान है असम, मेघालय, अरूणावल प्रदेश, मिजोरम, मिणेपुर, नागालैंड, विष्प्र, सिक्किम, जम्मु-कशीर राज्य के लहाख खंड, हिमाचल प्रदेश के ति दशा में उन कारणों लिए जो लेखबढ़ किए हो से लो तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, सेच लोक सेवा आयोग विवेकानुसार शिथिल की						सरकार द्वारा समय	
आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती हैं)। पिपण-1:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निण्येक तारीख आने मान्यताप्राप्त अन्यर्थियों से आवेदनपत्रों को प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख होगी। (और निक्री या प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख होगी। (और निक्री या प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख होगी। (और निक्री या प्राप्त विश्वविद्यालय या शिखा संस्थान से प्राणीविज्ञान के अन्यर्थियों से आवेदनपत्रों को प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख होगी। (और निक्री मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शिखा संस्थान से प्राणीविज्ञान में डॉक्टोरेट। मागालैंड, निम्मचल प्रदेश, निम्मुन्कश्मीर राज्य के लहाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लहाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लहाल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, विवेकानुसार शिथिल की जा	आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण-1:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से आवेदनपत्रों को प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख होगी। (और न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्कम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लहाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड,		अध्यधीन	(अननुसाचवाय) 			1	
सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथल की जा सकती हैं)। हैं)। हैं। हें। हें।	सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण-1:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से आवेदनपत्रों को प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख होगी। (और निर्कार प्रोप्त से अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणेपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्म उन्म प्राणिविज्ञान इंक्टोरेट। नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्म क्रमीर राज्य के लहाच खंड, हिमाचल प्रदेश के तहाच खंड, हिमाचल प्रदेश के ति दशा में उन कारणों लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, विवेकानुसार शिथिल की						गए अनुदेशों या	की डिग्री; और
लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती हैं)। हैं)। टिप्पण-1:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से आवेदनपत्रों को प्राप्त करने के लिए अविम तारीख होगी। (और निक्स में आप्राप्त करने के लिए अविम तारीख होगी। (और निक्स में मान्यता प्राप्त करने के लिए अविम तारीख होगी। (और निक्स में मान्यता प्राप्त करने के लिए अविम तारीख होगी। (और निक्स में मान्यता प्राप्त कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोंक, विप्रा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लहाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, विवेकानुसार शिथिल की जा	लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती हैं)। टिप्पण-1:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से आवेदनपत्रों को प्राप्त करने के लिए अतिम तारीख होगी। (और निक्सी मान्यता प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख होगी। (और निक्सी मान्यता प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख होगी। (और निक्सी मान्यता प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख होगी। (और निक्सी मान्यता प्राप्त के असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, नागालैंड, त्रिपुरा, नागालैंड, त्रिपुरा, निक्सी मान्यता प्राप्त के लहाल खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, विवेबकानुसार शिथिल की							
शिश्वल की जा सकती है। शिश्वल की जा सकती है। हो। हों। हों। हों।	शिथिल की जा सकती हैं)। तिकाय या कानूनी संग या पब्लिक सेक्टर उपक्रम विश्वविद्यालय टिप्पण-1:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से आवेदनपत्रों को प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख होगी। (और न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लहाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, विवेकानुसार शिथिल की							(ii) केन्द्रीय या राज्य या संघ
है)। है)। हिएएण-1:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से आवेदनपत्री को प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख होगी। (और निर्मायक प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीत जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड,	है)। तिकाय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम विश्वविद्यालय टिप्पण-1:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तोन वर्ष का अनुभव। तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से आवेदनपत्रों को प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख होगी। (और न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, विवेकानुसार शिथिल की							राज्य क्षेत्र या स्वशासित
टिप्पण-1:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से आवेदनपत्रों को प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख होगी। (और न िक असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड,	टिप्पण-1:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से आवेदनपत्रों को प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख होगी। (और न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लहाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड,							निकाय या कानूनी संगठन
टिप्पण-1:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से आवेदनपत्रों को प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख होगी। (और निक्स में भेषालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लहाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड,	टिप्पण-1:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से आवेदनपत्रों को प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख होगी। (और निकसी पारीख होगी। (अर्थ होगी। (अर्य होगी। (अर्थ होगी। (अर्थ होगी। (अर्थ होगी। (अर्य होगी। (अर्थ होगी। (अर्य होगी। (अर्थ होगी						ह)।	
अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से आवेदनपत्रों को प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख होगी। (और न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लहाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, विवेकानुसार शिथिल की जा	अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से आवेदनपत्रों को प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख होगी। (और न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मेमजोरम, मिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति लिए जो लेखबद्ध किए जले तथा चम्बा-जिले संघ लोक सेवा आयोग के पांगी उपखंड, विवेकानुसार शिथिल की							विश्वविद्यालय या
लिए निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से आवेदनपत्रों को प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख होगी। (और न किसी मान्यता प्राप्त कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, विवेकानुसार शिथिल की जा	लिए निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से आवेदनपत्रों को प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख होगी। (और निक्षी मान्यता प्रक्रि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के तदशा में उन कारणों लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले संघ लोक सेवा आयोग के पांगी उपखंड, विवेकानुसार शिथिल की						टिप्पण-1:- आयु-सीमा	
तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से आवेदनपत्रों को प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख होगी। (और न किसी मान्यता प्राप्त कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लदाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीत जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, विवेकानुसार शिथिल की जा	तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से आवेदनपत्रों को प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख होगी। (और न किसी मान्यता प्र कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के तदश में उन कारणों लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, विवेकानुसार शिथिल की						अवधारित करने के	
वाले अभ्यर्थियों से आवेदनपत्रों को प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख होगी। (और न किसी मान्यता प्राप्त कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मेजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति लिए जो लेखबद्ध किए जाए जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, विवेकानुसार शिथिल की जा	वाले अभ्यर्थियों से आवेदनपत्रों को प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख होगी। (और न किसी मान्यता प्र कि असम, मेघालय, संस्थान से प्राणिविज्ञान मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर टिप्पण -1:- अर्हत राज्य के लहाख खंड, हिमाचल प्रदेश की दशा में उन कारणों लाहोल और स्पीति लिए जो लेखबद्ध किए ज जिले तथा चम्बा-जिले संघ लोक सेवा आयोग के पांगी उपखंड, विवेकानुसार शिथिल की						लिए निर्णायक	
आवेदनपत्रों को प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख होगी। (और न किसी मान्यता प्राप्त कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, विवेकानुसार शिथिल की जा	आवेदनपत्रों को प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख होगी। (और न किसी मान्यता प्र कि असम, मेघालय, विश्वविद्यालय या शि अरूणाचल प्रदेश, संस्थान से प्राणिविज्ञान मिजोरम, मिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर टिप्पण -1:- अर्हत राज्य के लद्दाख खंड, अन्यथा सुअर्हित अभ्यिष हिमाचल प्रदेश के ति दशा में उन कारणों लाहोल और स्पीति लिए जो लेखबद्ध किए ज जिले तथा चम्बा-जिले संघ लोक सेवा आयोग के पांगी उपखंड, विवेकानुसार शिथिल की							तीन वर्ष का अनुभव।
करने के लिए अंतिम तारीख होगी। (और न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, विवेकानुसार शिथिल की जा	करने के लिए अंतिम तारीख होगी। (और न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, संस्थान से प्राणिविज्ञान मिजोरम, मिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति लिए जो लेखबद्ध किए ज जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, विवेकानुसार शिथिल की							
तारीख होगी। (और न किसी मान्यता प्राप्त कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, विवेकानुसार शिथिल की जा	तारीख होगी। (और न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, सेस्थान से प्राणिविज्ञान मिजोरम, मिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर टिप्पण -1:- अर्हत राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति लिए जो लेखबद्ध किए ज जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, विवेकानुसार शिथिल की							वांछनीय :-
कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, संस्थान से प्राणिविज्ञान में प्राणिविज्ञान में डाँक्टोरेट। मागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर टिप्पण -1:- अर्हताएं, राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति लिए जो लेखबद्ध किए जाए जिले तथा चम्बा-जिले संघ लोक सेवा आयोग के के पांगी उपखंड, विवेकानुसार शिथिल की जा	कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, संस्थान से प्राणिविज्ञान मिजोरम, मिणिपुर, हाँक्टोरेट। नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर टिप्पण -1:- अर्हत राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के ति दशा में उन कारणों लाहोल और स्पीति लिए जो लेखबद्ध किए ज जिले तथा चम्बा-जिले संघ लोक सेवा आयोग के पांगी उपखंड, विवेकानुसार शिथिल की							
अरूणाचल प्रदेश, संस्थान से प्राणिविज्ञान में मिजोरम, मिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर टिप्पण -1:- अर्हताएं, राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले संघ लोक सेवा आयोग के के पांगी उपखंड, विवेकानुसार शिथिल की जा	अरूणाचल प्रदेश, संस्थान से प्राणिविज्ञान मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर टिप्पण -1:- अर्हत राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के ति दशा में उन कारणों लाहोल और स्पीति लिए जो लेखबद्ध किए ज जिले तथा चम्बा-जिले संघ लोक सेवा आयोग के पांगी उपखंड, विवेकानुसार शिथिल की							
मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर टिप्पण -1:- अर्हताएं, राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के की दशा में उन कारणों के लाहोल और स्पीति लिए जो लेखबद्ध किए जाए जिले तथा चम्बा-जिले संघ लोक सेवा आयोग के के पांगी उपखंड, विवेकानुसार शिथिल की जा	मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर टिप्पण -1:- अर्हत राज्य के लद्दाख खंड, अन्यथा सुअर्हित अभ्यथि हिमाचल प्रदेश के की दशा में उन कारणों लाहोल और स्पीति लिए जो लेखबद्ध किए ज जिले तथा चम्बा-जिले संघ लोक सेवा आयोग के पांगी उपखंड, विवेकानुसार शिथिल की							
नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर टिप्पण -1:- अर्हताएं, राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के की दशा में उन कारणों के लाहोल और स्पीति लिए जो लेखबद्ध किए जाए जिले तथा चम्बा-जिले संघ लोक सेवा आयोग के के पांगी उपखंड, विवेकानुसार शिथिल की जा	नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर टिप्पण -1:- अर्हत राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के की दशा में उन कारणों लाहोल और स्पीति लिए जो लेखबद्ध किए ज जिले तथा चम्बा-जिले संघ लोक सेवा आयोग के पांगी उपखंड, विवेकानुसार शिथिल की						1	
सिक्किम, जम्मू-कश्मीर टिप्पण -1:- अर्हताएं, राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के की दशा में उन कारणों के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, विवेकानुसार शिथिल की जा	सिक्किम, जम्मू-कश्मीर टिप्पण -1:- अर्हत राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के की दशा में उन कारणों लाहोल और स्पीति लिए जो लेखबद्ध किए ज जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, विवेकानुसार शिथिल की							डाक्टारटा
राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के की दशा में उन कारणों के लाहोल और स्पीति लिए जो लेखबद्ध किए जाए जिले तथा चम्बा-जिले संघ लोक सेवा आयोग के के पांगी उपखंड, विवेकानुसार शिथिल की जा	राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के की दशा में उन कारणों लाहोल और स्पीति लिए जो लेखबद्ध किए ज जिले तथा चम्बा-जिले संघ लोक सेवा आयोग के पांगी उपखंड, विवेकानुसार शिथिल की						, , , , ,	1. 3-5
हिमाचल प्रदेश के की दशा में उन कारणों के लाहोल और स्पीति लिए जो लेखबद्ध किए जाए जिले तथा चम्बा-जिले संघ लोक सेवा आयोग के के पांगी उपखंड, विवेकानुसार शिथिल की जा	हिमाचल प्रदेश के की दशा में उन कारणों लाहोल और स्पीति लिए जो लेखबद्ध किए ज जिले तथा चम्बा-जिले संघ लोक सेवा आयोग के पांगी उपखंड, विवेकानुसार शिथिल की							, ,
लाहोल और स्पीति लिए जो लेखबद्ध किए जाए जिले तथा चम्बा-जिले संघ लोक सेवा आयोग के के पांगी उपखंड, विवेकानुसार शिथिल की जा	लाहोल और स्पीति लिए जो लेखबद्ध किए ज जिले तथा चम्बा-जिले संघ लोक सेवा आयोग के पांगी उपखंड, विवेकानुसार शिथिल की							
जिले तथा चम्बा-जिले संघ लोक सेवा आयोग के के पांगी उपखंड, विवेकानुसार शिथिल की जा	जिले तथा चम्बा-जिले संघ लोक सेवा आयोग के पांगी उपखंड, विवेकानुसार शिथिल की							
के पांगी उपखंड, विवेकानुसार शिथिल की जा	के पांगी उपखंड, विवेकानुसार शिथिल की						_	
अंदमान और निकोबार _{सकति है।}	। । । । । । अदमान आर्गानकाबार । सक्रमा में।						अंदमान और निकोबार	ाववकानुसार ।शायल का जा सकती है।
" " " " " "	द्वीप या लक्षद्वीप के							4 1.411 61

		अभ्यर्थियों के ति निर्धारित की अंतिम तारीख)।	
--	--	--	--

क्या सीधे भर्ती	परिवीक्षा	भर्ती की विधि,	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा	यदि विभागीय प्रोन्नति	भर्ती करने के
होने वालों के	की	सीधी भर्ती द्वारा	भर्ती की दशा में वे वेतन मैट्रिक्स में	समिति है, तो उसकी	लिए किन
लिए निर्धारित	अवधि,	या प्रोन्नति द्वारा या	स्तर जिससे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति	संरचना	परिस्थितियों
आयु तथा	यदि कोई	प्रतिनियुक्ति या	या आमेलन किया जाएगा		में संघ लोक
योग्यताएं	हो	आमेलन द्वारा है			सेवा आयोग
प्रोन्नति पाने		तथा विभिन्न			से परामर्श
वालों के		पद्धतियों द्वारा			किया
मामलों में भी		भरी जाने वाली			जाएगा
लागू होगी		रिक्तियों की			
		प्रतिशतता			
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आयु-सीमा:	सीधी	(क) 66.67	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 में	विभागीय प्रोन्नति समिति	प्रत्येक
 लागू नहीं	भर्ती हुए	प्रतिशत सीधी भर्ती	्र ऐसे विभागीय सहायक प्राणीविज्ञानी	(प्रोन्नति के संबंध में विचार	अवसर पर
होता	व्यक्ति के	द्वारा; और	जिन्होंने उस पद में तीन वर्ष की	करने के लिए) जिसमें	संघ लोक
0	लिए एक	ख) 33.33	नियमित सेवा की है ।	निम्नलिखित होंगे:-	सेवा आयोग
	वर्ष एवं	प्रतिशत प्रोन्नति			से परामर्श
	प्रोन्नत	द्वारा, जिसके न हो		(-) 	करना
शैक्षणिक	हुए	सकने पर	टिप्पण	(क) संघ लोक सेवा आयोग	आवश्यक है।
अहर्ताएं: लागू	व्यक्ति के	प्रतिनियुक्ति	जहां ऐसे कनिष्ठों, जिन्होंने अपनी	का अध्यक्ष या सदस्य -	
होता है।	लिए दो	(जिसके अंतर्गत	अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है,	अध्यक्ष;	
	वर्ष।	् अल्पकालीन	पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जा	(ख) संयुक्त सचिव, प्रभारी	
		संविदा भी है)द्वारा	रहा हो, उनके वरिष्ठों पर भी विचार	भारतीय प्राणी-विज्ञान	
		1	किया जाएगा बशर्ते कि उनकी	सर्वेक्षण, पर्यावरण, वन और	
			अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अर्हक/पात्रता	जलवायु परिवर्तन मंत्रालय–	
			सेवा के आधे से अधिक से अथवा दो	सदस्य;	
			वर्ष, जो भी कम हो, से कम ना हो	(ग) निदेशक, भारतीय	
			और उन्होंने अगले उच्चतर स्तर में	प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण,	
			प्रोन्नति हेतू उनके कनिष्ठों, जिन्होंने	कोलकाता – सदस्य।	
			ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी		
			कर ली है, सहित परीवीक्षा की	 विभागीय पुष्टि समिति	
			अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	(पुष्टि के संबंध में विचार	
				(पुष्ट के सबब में विवार करने के लिए) जिसमें	
				करन क ।लंड) ।जसम	

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय	निम्नलिखित होंगे:-
सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या कानूनी या स्वशासी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी:-	(क) संयुक्त सचिव, प्रभारी भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय- अध्यक्ष;
(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद को धारण किए हुए है; या (ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर -7 या समतुल्य में तीन वर्ष की नियमित	(ख) निदेशक या उप सचिव, संरक्षण एवं सर्वेक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय- सदस्य; (ग) निदेशक, भारतीय प्राणी-विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता- सदस्य।
सेवा की हो; और (ख) स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती	
होने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अहर्ताएं तथा अनुभव रखते हों। टिप्पण-1:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे	
विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	
टिप्पण-2:- प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	
की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
टिप्पण-3:- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

[फा. सं. 02/07/2012-सीएसजेड]

मंजु पाण्डे, संयुक्त सचिव (संरक्षण एवं सर्वेक्षण)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 2019

- G.S.R. 140(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Zoological Survey of India (Scientific Group-A posts) Recruitment Rules, 1984, in so far it relates to the post of Scientist-B, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Scientist 'B' in the Zoological Survey of India under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, namely:-
- 1. Short title and commencement .- (1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Zoological Survey of India, Scientist 'B', Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and level in pay matrix .- The number of post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification. No person, -
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax. Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Savings. Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of	Number	Classification.	Level in	Whether	Age limit for direct recruits.
post.	of post.		pay	selection	
			matrix.	post or non-	
				selection	
				post.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Scientist-	65*	General	Level 10	Selection	Not exceeding 35 years
'B'	(2019)	Central	(Rs.		
	*Subject	Service,	56,100-		Note.1- (relaxable for Government servants upto
	to	Group 'A',	1,77,500/-		five years' in accordance with the orders issued by
	variation	Gazetted,)		the Central Government).
	dependent	(Non-			
	on	Ministerial).			Note 1: The crucial date for determining the age
	workload.				limit shall be the closing date for receipts of
					applications from candidates in India (and not the
					closing date prescribed for those in Assam,
					Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram,

				Mar	ipur, Nagala	and, Tripura, Sikkim, Ladakh
				Divi	sion of Jamm	nu and Kashmir State, Lahaul and
				Spit	i District and	Pangi Sub-Division of Chamba
				Dist	rict of Hima	chal Pradesh, Andaman and and
				Nice	obar Islands o	r Lakshwadweep).
Educational and other of	ualifications requi	red for direc	t Whether	age	Period of	Method of recruitment, whether
recruits.	*		and		probation,	by direct recruitment or by
			education	ıal	if any.	promotion or by deputation/
			qualificat	ions		absorption and percentage of
			prescribe	d		the vacancies to be filled
				irect		by various methods.
			recruits	will		
			apply in			
			the case	of		
			promotee	s.		
					1	-

(7)	(8)	(9)	(1	0)	
Essential: - (i) Master's degree in Zoology from a recognised University; and (ii) Three years' experience in research and technique in the field of Zoology from the Central or State or Union territory Government/ Autonomous Body or Statutory Organizations or Public Sector Undertakings or University or Recognised Research Institutes.	Age: No Educational Qualification: Yes.	(i) One year for direct recruits; and (ii) two years for promotees.	(i) 66.67% Recruitment; an (ii)33.33% by p which by deput Short Term Con	omotion ation (Ir	
Desirable: -					
Doctorate degree in Zoology from a recognised University or Institute.					
Note 1:- Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified.					
Note 2:- The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.					
In case of recruitment by promotion or deputation or absorption levels in pay matrix from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departm exists what is it		tion Committee	in	ission be ted in

(11)	(12)	(13)	
Promotion: Assistant Zoologist in the level 7 of the pay	Departmental Promotion Committee, for	Consultation	
matrix with 3 years' service in the level rendered after	considering Promotion, consisting of:	with Union	
appointment thereto on a regular basis.		Public Service	
	(i) Chairman or Member of the Union Public	Commission	

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualification/eligibility service.

Deputation (Including Short Term Contract (ISTC)):

- 1. Officers under the Central Government or State Government or Union territories or Statutory or Autonomous Organizations or Public Sector Undertakings or University or Recognised Research Institutes;
- (A) (I) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or
- (II) with at least three years' regular service in the level 7 of the pay matrix or equivalent; and
- (B) possessing the educational qualifications as prescribed for Direct Recruitment under column (7).
- Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment by promotion.
- Note 2: The period of deputation (ISTC) including the period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed 3 years.
- Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Service Commission - Chairman;

(ii) Joint Secretary, in Charge of Zoological Survey of India in Ministry of Environment, Forest and Climate Change – Member; is

on

occasion.

necessary

each

(iii) Director, Zoological Survey of India Kolkata - Member.

Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :

- (i) Joint Secretary, in Charge of Zoological Survey of India in Ministry of Environment, Forest and Climate Change – Chairman;
- (ii) Director or Deputy Secretary, Conservation and Survey Division, Ministry of Environment, Forest and Climate Change-Member;
- (iii)Director, Zoological Survey of India Kolkata Member.

[F. No. 02/07/2012-CSZ] MANJU PANDEY, Jt. Secy. (Conservation and Survey-II)